कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एंव जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक:- जिबासई/निविदा/2017-18/ 297

दिनांक:- 12.03 2018

निविदा सूचना स. 01 (2018-19)

सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा एवं सुरक्षित स्थान भीलवाड़ा में वर्ष 2018—19 हेतु निम्न जॉब/विजिट बेसिस कार्यों के लिए मोहर बन्द निविदा पंजीकृत सोसायटी से आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क . स.	पद का विवरण	अनुमानित लागत रूपये लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि	निविदा पत्र बेचने की तिथि	निविदा पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01 02 03.	परामर्शदाता (1) असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (2) बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु सुरक्षा गार्ड (3)	7.08	14160 / -	500 / -	1 वर्ष	12.03.2018 से 31.03. 2018 तक (समय 05:00बजे तक)	31.03.2018 (समय 11:00 बजे तक) .	02.04. 2018 (समय 12:00 बजे तक)
04	च.श्रे.क. (1)							

- 1. निविदा धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
- 3. निविदा आवेदक फर्म जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
- 4. निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित तिथि को किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र शुल्क नगद जमा करवाकर दिनांक 20.03.2018 को समय सांयं 05:00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क (रूपयें 500) निविदा दाता द्वारा पृथक से डी डी 'सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा के नाम से बनवाकर दिनांक 31.03.2018 को प्रातः 12:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेगें। जो दिनांक 02.04.2018 को दोपहर 12:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

(शरद शर्मी) भी सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा

क्रमांकः- जिबासई / निविदा / 2017-18 / 258 - 309 प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक:- 12.3-2018

- 01. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
- 02. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय परिसर राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्युनतम स्थान पर प्रकाशन कराने कि कृपा करावें।

- 03. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा राज.
- 04. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को वास्ते विभागीय साईड पर ऑन लाईन करने हेतु।
- 05. अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह भीलवाड़ा।
- 06. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट / नगर परिषद / कार्या हाजा.।
- 07. सूचना सहायक कार्या हाजा. को वास्ते एसपीपीपी पोर्टल पर ई नोटिस हेतु।

सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एंव जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)

निविदा का नाम :- जॉब बैस पर कार्य करवाने हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संरह एए-	य :—सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकाय जिला बाल अण इकाई भीलवाड़ा एवं सुरक्षित स्थान भीलवाड़ा के संचालन हेतु एक काउन्सलर, एक नएम, तीन केयर टेकर, एक रसोईया, एक स्वीपर हेतु आईसीपीएस योजनान्तर्गत निर्धारित दरों आधार पर कार्मिको की पूर्ति हेतु वर्ष 2018–19 हेतु निविदाएं आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम ई–मेल तथा डाक का पूरा पता
	दूरभाष मोबाईल ,
	ई—मेल
2.	नं किया विवाद क्रमांक दिनांक :
3.	निविदा शुल्क कीनगद जमा राशि रूपये 500/- रसीद संख्यादिनांक
4.	निर्धारित अमानत राशि डी.डी. संख्या
गर 5. 6.	त्रयक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिली बेली संरक्षण इकीई जिली मारापाड़ी के एक ने प्राप्त है जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा भोपालगंज भीलवाड़ा में स्वीकार्य हो। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या
7.	आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (पेन नम्बर)सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संख्यापंजीयन कार्यालय का विवरण
8.	पी.एफ. विभाग के रजिस्ट्रेशन नम्बर
9.	संस्था के कार्य करने का 02 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। (किसी राजकीय संस्था द्वारा ारी)
ज	ारी)
10	o. सर्विस टेक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या व विगत दो वर्षो का रिटर्न फार्म
	लग्न करे। 1. संस्था का 2 वर्षों का मान्यता प्राप्त सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन/रिपोर्ट
	े के रक्त की हों संहरत शिहराल Gमें दिये गये प्रपन्न में प्रस्तुत का जीव।
	े नंद्रम का विकार प्रमाण पत्र व विधान तथा पदाधिकारिया का सूचा सल्या पर
1.	 संस्था को समस्त पंजीयन प्रमाण पत्र सही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

घोषणा - पत्र

हस्ताक्षर

निविदा दाता के नाम एंव पता मय शील

दिनांक :-

संलग्न दस्तावेज :-

- 1. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन।
- 2. वैट चुकता प्रमाण पत्र 2014-15, 2016-17,2017-18।

गई तो उसे निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर लेगा।

- 3. रोजगार सेवा निदेशालय से पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 4. श्रम विभाग में पंजीयन आदेश की प्रति एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अंधिनियम 1958 के तहत् प्लेंसमेंट एजेन्सी का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 5. कर्मचारी भविष्य निधि में रिजस्ट्रेशन की प्रति।
- 6. ऑडिट रिपोर्ट 2015-16, 2016-17।
- 7. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।

नोट :- उपरोक्तानुसार दस्तावेज संलग्न करने पर ही निविदा को तुलानात्मक विवरण पत्र में शामिल किया जायेगा।

शिड्युलG

निविदा का विवरण

क्र.	पद नाम	पदों	प्रस्तावित	कार्य का विवरण	शैक्षणिक	संवेदक द्वारा दी	
सं.	14 111	की	दर	वर्गव वर्ग विवर्ग	योग्यता	गई दर (समस्त	
,,,,		संख्या	(प्रतिमाह		41 401	करों को सम्मिलित	
		11041	प्रति पद)			करते हुये)	
1.	काउसन्लर	1	बाल	1) बच्चों को भाषा एवं संस्कारों का	एम.ए. समाज	परसा हुप)	
1.	4/10(1)(1)		अधिकारिता	विकास करना।	शास्त्र एवं एम.		
			विभाग के	2) बच्चों की समय समय पर	एस.डब्लू		
			नियमानुसार	काउन्सलिंग करना।	771.600		
2	असिस्टेंट	2	बाल	1 बाल अधिकारिता विभाग की	किसी भी		
-	कम डाटा	2	अधिकारिता	योजनाओं के ऑनलाईन डाटा एन्ट्री	रनातक कोर्स		
	एन्ट्री		विभाग के	करना	के साथ राज्य		
	ऑपरेटर .		नियमानुसार	2 बाल कल्याण समिति एवं किशोर	The state of the s		
	बाल		गिपनागुतार		सरकार द्वारा		
	कल्याण			न्याय बोर्ड की सूचना तैयार करना एवं कम्प्यूटराईज्ड डाटा संधारित करना	मान्यता प्राप्त		
	समिति एवं			3 एम.एस ऑफिस में कार्य करना	कम्प्यूटर प्रमाण,		
	किशोर			4 चाइल्ड ट्रैकिंग पोर्टल पर बच्चों की	(RSCIT)		
	न्याय बोर्ड		1	य वाइल्ड ट्राकन पाटल पर बच्चा का			
3		2	बाल	डाटा एन्ट्री एवं डिस्पोजल करना 1 अनुभवी सुरक्षा गार्ड जो गृह में विधि	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
3	सुरक्षा गार्ड	3	अधिकारिता	से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं	साक्षर एवं दो वर्ष का		
	1110		विभाग के	संरक्षण वाले किशोरों की सुरक्षा करना			
			The state of the s	2 किशोर के पलायन की घटना को	कार्यानुभव		
			नियमानुसार		(नोट दक्ष		
				रोकना एवं गृह की पूर्ण सुरक्षा करना	सुरक्षाकर्मी की		
					राज्य सरकार		
					द्वारा प्रचलित		
					दर ही प्रस्तुत		
4	च.श्रे.क.	1	बाल	1) गृह परिसर में प्रतिदिन	करें।) साक्षर एवं दो		
4	4.71.47.		अधिकारिता	सफाई / पोंचा / धुलाई करना।	वर्ष का		
			विभाग के	2) गृह परिसर में स्थित	कार्यानुभव		
			_	3) गृह परिसर की छत की माह	कावानुनव		
			नियमानुसार	में एक बार सफाई करना।			
				4) गृह की पानी की टंकी एवं वाटर			
				कूलर की टंकी की माह में एक बार			
				सर्फ से सफाई करना।			
				5) गृह के छज्जे, बालकॉनी, खिडकियों, शीशें, दरवाजे आदि की			
	0			सर्फ से माह में एक बार सफाई			
				6) गृह में स्थित कमरों में पंखे, टयूब			
				लाईट आदि की माह में एक बार			
			9	सफाई करना।			
				7) गृह के कमरों में अलग से झाडू			
			7/1	लगाना।			
	योग :						

निविदा की कुल राशि शब्दों में

नोट :—श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी का ध्यान में रखते हुए दरे देवे। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरो के प्रस्ताव दिये जाते है तो निविदा पर विचार नही किया जावेगा तथा सर्विस टेक्स सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा स्वयं अपनें स्तर पर जमा करा चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी एवं सर्विस चार्ज की दर ;ऋणात्मक दर मान्य नही होगी।

उपर्युक्त अंकित दरें दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक वैध है। समयाविध में वृद्धि पारस्परिक सहमित से की जा सकती है। निविदा में वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है। जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये है। जिसका पालन करने के लिए हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदाता मय शील

कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एंव जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा (राज0)

निविदा शर्ते

- 1. निविदा दाता के पास स्वंय की भविष्य निधी खाता, राज्य कर्मचारी बीमा संख्या होना आवश्यक है।
- 2. निविदा दाता के पक्ष में संयुक्त श्रम आयुक्त से श्रम प्रावधानों के अन्तर्गतलाईसेंस जारी होना आवश्यक है। लेवर लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाता को अनुज्ञा पत्र की शर्तों की पालना करनी आवश्यक होगी।
- 3. निविदा संस्थान द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारितदरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।
- 4. निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एंव लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में संवर्ग सेवा आपूर्ती हेतु निविदा अंकित होनी चाहिये।
- 5. निर्धारित अमानत राशि जो कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 6. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 7. निविदा दाता को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर ठेका श्रम अधिनियम 1970-71 के नियम 25(1) के तहत् लाईसेंस फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक है।
- 8. निविदा दाता को आयकर निस्तारण सम्बंधी प्रमाण पत्र एंव पेन कार्ड ठेका श्रम अधिनियम 1970 के नियम 82(1) के अन्तर्गत फार्म संख्या 24 में होना चाहिए। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- 9. निविदादाता को पी.एफ. व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का स्वंय के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निविदा में विभिन्न संवर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय मजदूरी, ठेकेदार का सेवा शुल्क, भविष्य निधि अशंदान, कर्मचारी क्षतिपूर्ती प्रीमियम, सर्विस टैक्स को शामिल करते हुए आधार दरों पर अतिरिक्त सर्विस चार्ज की राशि सहित दरें प्रस्तुत करनी होगी। (अलग से कोई राशि देय नहीं होगी)
- 10. यह कार्यालय बिना बताये निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
- 11. निविदा प्रपत्र एंव शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, एंव जो दरें अंकित की है, वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य की आगे की अविध आपसी सहमित से निविदा दाता का कार्य सन्तोष प्रद रहने की स्थिति में अग्रिम आदेशों तक बढ़ायी जा सकेंगी।
- 12. दरें पृथक सेवा हेतु पृथक-पृथक व स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। दरों में अन्य वित्तीय शर्ते होने पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
- 13. सेवाएं उपलब्ध कराने की राशि अंको एंव शब्दों दोनो में स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए, इनमेंकिटिंग नही होनी चाहिए। किटंग अथवा संशोधन होने की स्थिति में लघु हस्ताक्षर किये होने चाहिए। यदि किसी कार्य हेतु दरें नही देनी हो तो दरें नही अंकित करनी है।
- 14. ठेकेदार को ठेका मिलने के उपरान्त कार्यालय में एक अण्डर टेकिंग (500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा उसके द्वारा कार्य का बिल प्रति माह प्रथम सप्ताह के कार्य दिवस पर मय पी.एफ. अंशदान जमा की चालान रसीद सहित प्रस्तुत कर एजेन्सी कर्मियों के भुगतान में से ठेके हेतु स्वीकृत विधिक कटौती के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं भुगतान राशि सेवाकर्मियों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर कार्यालय को सूचित करना होगा तथा भुगतान संबंधी समस्त दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कि जावेगी। इस अण्डर टेकिंग का पालन करने पर कार्यालय द्वारा सहकर्मियों को नियमानुसार सीधें ही अथवा किसी अन्य ऐजेन्सी/द्वितीय/तृतीय संवेदक के माध्यम से सहमित के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। असफल होने पर ठेकेदार की जमा पांच धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

- 15. मासिक राशि की गणना 26 दिवसीय अवधि मानकर की जावेगी। अनुपस्थिति दिवसों की मासिक राशि में से कटौती व अन्य प्रयोजन हेतु दैनिक राशि की गणना मासिक राशि में से 500 की पेलन्टी बिल में से कटौती की जावेगी।
- 16. दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 15 दिवस में सम्बंधित सेवांए उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा आपूर्ती न करने की अवधि का प्रतिदिन प्रति सेवा कर्मी रूपये 500 की पेलन्टी राशि बिल में से कटौती की जावेगी।
- 17. ठेकेदार द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की राजकीय होम/कार्यालय को हानि होती हो तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठैकेदार का होगा। तथा हानि की राशि को ठेकेदार के भुगतान से काट लिया जायेगा।
- 18. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इस अनुबंध का खण्डन माना जायेगा। एंव कार्यालय को धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 19. सफल निविदा दाता को आदेश प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार-पत्र निष्पादन कराना होगा। जिस कार्यालय के लिए स्वीकार की गई है। प्रतिभूति की राशि जमा करानी होगी।
- 20. सफल निविदा दाता द्वारा निविदा के समय जमा करायी गई अमानत राशि को देय पांच प्रतिशत को धरोहर राशि से समायोजित कराया जा सकेगा।
- 21. अमानत राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।
- 22. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है, या उनके विरुद्ध है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही को निरस्त कर दिया जावेगा।
- 23. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था / ठेकेदार) के लिए भीलवाड़ा स्थित सक्षम न्यायालय क्षेत्र होगा।
- 24. स्वीकृत दरों पर सेवाओं की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
- 25. ठेकेदार को संबंधित सेवा से पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। (अनुभव के सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा।
- 26. अनुबंध की अनुमित कार्य करने की क्षमता व अनुभव ध्यान में रखकर प्रथम छः माह के लिए दी जावेगी। जो कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष शेष अविध तक बढाई जा सकेगी। एक वर्ष बाद अनुबंध आपसी सहमित से छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- 27. संस्थान में ठेकेदार को केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरी के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालन के सम्बंध में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 28. ठेकेदार द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के एवज में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों (न्यूनतम मजदूरी दोनो के आधार पर) सेवा शुल्क पी.एफ., अन्य करों को शामिल करते हुए अन्त में दर के कॉलम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- 29. ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि हमेशा कार्यो के लिए सुपरविज़न हेतु कार्यालय समय में कार्य पर उपस्थित रहेगा। तथा पारी प्रभारी/अधिकृत अधिकारी आदेशानुसार कार्य सम्पादित करवायेगा।
- 30. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मैन पावर) को उसका परिचय पत्र बनाकर देना होगा। जो ड्यूटी के दौरान सम्बंधित व्यक्ति के पास पॉकेट पर/गले में पहचान हेतु लगा होगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति कार्य पर नहीं लिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकरों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो, निर्धारित योग्यता के दस्तावेज एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 31. निविदाओं सम्बंधी समस्त अधिकार क्रय समिति को होगें। जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 32. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में जीएसटी राशि अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा। सम्बंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्ती कर्ता का होगा।
- 33. भुगतान बिलों के नियमानुसार आयकर / जीएसटी की कटौतियां की जावेगी।
- 34. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगें।निविदादाता द्वारा सर्विस टैक्स कोड न. व रिर्टन होना आवश्यक है।

- 35. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिक की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसके लिए विभाग या सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा जिम्मेदार नही होगा।
- 36. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायलय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो वह इसमें बाल अधिकारिता विभाग प्रशासन को पक्षकार नहीं बना सकेगा फिर भी यदि ऐसा किया जाता है तो सहायक निदेशक, बाअवि एवं जिला बाल सरंक्षण भीलवाड़ा पर पडने वाला भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।
- 37. फर्म को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गय कर्मकार 18 वर्ष से क्रम आयु के नहीं है।
- 38. निविदा प्रक्रिया में स्वयं पदाधिकारी मय मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होगें उसके बाद संस्था ही संस्था की तकनीकी बिड को देखा जायेगा तथा सही पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- 39. कम संख्या 01 से 05 तकके पदो की अंकित दर आईसीपीएस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित हैं अतः इस दर से कम दर पर निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत माना जाएगा एवं उपागम समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

नोट :- मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्ते संख्या 01 से 39 तक को भली भाति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ठ अ एवं ब संलग्न है।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

अनुबंध-पत्र

अधिव (जिर	अनुबंध पत्र आज दिनांकमाहसन्सन्प्रथम पक्ष सहायक निदेशक बाल जरिता विभाग एंव जिला बाल संरक्षण इकाई भीलवाड़ा तथा द्वितीय पक्ष के मैसर्स ते इसमें आगे अनुमोदित सेवा आपूर्ती कर्ता कहा गया है, तथा इस अधिनियम में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया ।।उसके उच्चाधिकारियों, निष्पादको एंव प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) के मध्य सम्पन्न किया गया।
उक्त	अनुबंध पत्र प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तो के आधार पर निष्पादित किया गया :-
1.	यह कि प्रथम पक्ष अपने परिशिष्ट—1 पर अंकित कार्यालय/कार्यालयों नाम/सूची कार्यालय परिशिष्ट संख्या—01 पर संलग्न) में परिशिष्ट—02 पर अंकित कर्तव्यों दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु 12 माह की अवधि के लिए द्वितीय पृक्ष की सेवाऐं पूर्णतः ठेका सेवा पद्वति पर लेने के लिए सहमत है, जिसके लिए निर्धारित मापदण्डनुसार संतोषप्रद सेवा निष्पादन के सत्यान के अधीन राशि रूपये स्वीकृत निविदा दर अनुरूप प्रतिमाह (फिक्स) प्रति भुगतान करने के लिए सहमत है।
2.	यह कि ऊपर वर्णित मद संख्या 01 में अंकित कार्य हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्णत ठेका पद्वति के आधार पर पक्षकार संख्या 01 सेवाऐं उपलब्ध करायी जायेगी एंव कार्य अविध समाप्त होने पर या कार्य समाप्त होने पर उक्त सेवाओं का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3.	यह कि उक्तानुसार मासिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित सेवा आपूर्तीकर्ता द्वितीय पक्ष को प्रत्येक अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक किया जा सकेगा।
4.	यह कि मासिक राशि की गणना माह में 26 कार्य दिवस मानकर की जायेगी तथा जितने दिन कार्य नहीं किया जावेगा। (सेवाएँ उपलब्ध नहीं करायी जावेगी) उतने दिन की भुगतान में आनुपातिक रूप में कटौती की जावेगी।
5.	यह कि अनुमादितसेवा आपूर्तीकत्ता द्वितीय पक्ष वांछित सेवाओं के लिए वैधानिक नियमों की पालना के अन्तर्गत, यदि आवश्यकहो तो, अनुज्ञा पत्र प्रमाण पत्र तकनीकी शैक्षणिक अर्हताओं (परिशिष्ट संख्या 02 के अनुसार) को पूर्तिकरने की
	बाध्यता द्वितीय पक्षकार की होगी। द्वितीय पक्षकार द्वारा इसमें किसी प्रकार की कमी, अवहेलना, धोखाधड़ी करने पर, पक्षकार संख्या 01 को अनुबंध निरस्त करने के साथ पक्षकार संख्या 02 के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। फर्जी या अवैध प्रमाण पत्र अनुज्ञापत्र के आधार पर किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6.	यह कि पक्षकार संख्या 02 के द्वारा सप्ताह में सभी कार्यालय दिवसों में, कार्यालय की समयाविध व आवश्यकतानुसार सेवायें प्रदान करनी होगी अन्यथा किसी प्रकार से भी सेवा प्रदान न करने या निर्धारित कार्य स्थल पर सेवा प्रदत्त नहीं होने पर देय मासिक राशि से अनुपातिक कटौती की जावेगी।
7.	यह कि पक्षकार संख्या 02 के द्वारा प्रदत्त सेवायें संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पक्षकार संख्या 01 पक्षकार संख्या 02 को सूचित किया जावेगा। यदि सेवा की गुणवत्ता में पक्षकार संख्या 02 द्वारा सुधार नहीं किया गया तो किये गये कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
8.	यह कि उक्त सेवा अनुबंध केवल तात्कालीन आवश्यकता के अनुरूप है, अतः पक्षकार संख्या 02 द्वारा मासिक (फिक्स) राशि की बढ़ोतरी अथवा अन्य किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं की जावेगी एंव नहीं इस सम्बंध में कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न किया जावेगा।
9. 10.	यह कि पक्षकार 02 द्वारा प्रदत्त सेवाएँ किसी भी शिफ्ट में अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित समय में ली जा सकेगी। यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य के विहित कर्तव्यों (पिरिशिष्ट-02) की पूर्ण पालना करनी होगी। कर्तव्यों की सूची पिरिशिष्ट 02 पर संलग्न है, जिनकी पालना नहीं किये जाने पर अथवा अवहेलना करने पर अनुबंध पर की गई अवहेलना मानी जायेगी।
11.	पक्षकार संख्या 02 द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सेवाओं के समस्त श्रम कानूनों व विभाग प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना व जहां आवश्यक हो, भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः पक्षकार 02 का ही होगा। पक्षकार संख्या 01 इस दायित्व से विमुक्त रहेगा।
	पक्षकार संख्या 02 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के दौरान लापरवाही अथवा उदासीनता से यदि पक्षकार संख्या 01 अथवा अन्य सम्बंधित पक्षकार को कोई क्षति होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पक्षकार संख्या 02 का ही होगा। प्रथम पक्ष एंव द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होन पर विवाद का निस्तारण भीलवाड़ा शहर
	के न्यायालय में ही होगा। इस अनुबंध की अविध अनुबंध पत्र निष्पादित होने की तिथी से 12 की अविध (सेसेसेसे जावेगा।

हस्ताक्षर व सील पक्षकार संख्या 01

हस्ताक्षर व सील पक्षकार संख्या 02



Government of Rajasthan State Public Procurement Portal



	NIB Details	
	CLO	SE
Department Details :		
Department Name	Child Empowerment	
Department Type	State Government Department	
Procuring Entity Name :	Mr. Sharad Sharma	
Procuring Entity Contact :	Email: dlo[dot]bhi[at]rajasthan[dot]gov[dot]in, Mobile: 9414302624	
Office Address :	Child Right Bhilwara, Collector campus, Bhilwara, Bhilwara, (Bhilwara), PIN:311001, Phone No.:01482232678, Fo.:	iX

NIB Details:

NIB Code	CED1718A0014

NIB Reference no. 297/01

Document	Financial Year	Publish Date	Uploaded on	Published Bids
恆 <u>Size : 516.33 KB [हिन्दी]</u>	2017 - 2018	12/03/2018	12/03/2018	1 / 1

Publish Bid Details:

	Cover(s)	Document	Bid Title / (UBN)	Amount(□)	Bid Type	Open Date	End Date		
	1	् <u>ष</u> Size : 3.04 MB [हिन्दी]	Job Basis/Visit Basis Works at District Child Protection Unit and Place of Safety Bhilwara for the Year 2018-19 (CED1718SSOB00014)	□ 708000.00	Services	02/04/2018	31/03/2018		
Bid Details:									
Bid	Title		Job Basis/Visit Basis Works at District Child Protection Unit and Place of Safety Bhilwara for the Year 2018-19						
Bid	Туре		Services						
Bid	Sub Type		Manpower Services						
Bid	Pattern		Open Competitive Bidding						
Bid Amount			₹ 708000.00						
Bid Required in Cover(s)		Cover(s)	1						
First Appeal Hearing Authority			Assistant Director						
Second Appeal Hearing Authority		Hearing Authority	Junior Accountant						
Crit	Critical Dates:								
Bid Upload Date			12/03/2018						
Bid Publish Date 12/0			12/03/2018						
Bid Submission End Date		End Date	31/03/2018						
Bid Open Date			02/04/2018						

Designed and Developed by



Copyright © 2018,All rights reserved

Ushaspati Tripathi, Joint Secretary, Finance (G & T) Department

Finance (SPFC) Department, Govt. Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302 005 Contact No.: (Rules Help) 0141-2743455 (Technical Help) 0141-5101669 Email cao.spfc@rajasthan.gov.in

Version: 3.0.0 Dated: 29 Sep 2016

Site best viewed in IE 10 or latest, Chrome or Mozilla Web Browser, with screen resolution 1024×768

